अनुदान संख्या 43 - अप्रत्यक्ष कर
GRANT No. 43 - INDIRECT TAXES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*		*50,00*	*9,31*	*-40,69*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*40,00*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	3481,38,00	3535,28,00	3476,33,91	-58,94,09
पूरक	Supplementary	53,90,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,38,25
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	119,20,00	119,21,00	9,94,96	-109,26,04
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				108,28,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹20.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹5894.09 लाख) दिसंबर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹5390.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹20.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹5894.09 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹5390.00 lakhs obtained in December, 2012 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	105523.00			
पू.	S.	356.00	104026.11	103437.42	-588.69
पु.	R.	-1852.89			
मुख्य शीर्ष "2038"	Major Head "2038"				
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties				
मू.	O.	241915.00			
पू.	S.	5034.00	248839.34	243916.30	-4923.04
पु.	R.	1890.34			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	700.00			
			424.30	280.19	-144.11
पु.	R.	- 275.70			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2037" - "निवारक और अन्य कार्य - समुद्र सीमा शुल्क - प्रमुख बंदरगाह" - ₹59713.25 लाख के मूल प्रावधान को ₹356.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹60069.25 लाख कर दिया गया, तथापि, जो उपस्करों की खरीद में विलंब होने, किराए पर लिए गए कार्यालय भवनों के किराया संशोधन प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, पुरस्कार मामले कम संख्या में मंजूर होने और कंप्यूटर और संबंधित मदों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹53.71 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2037" – "Preventive and Other Functions – Sea Customs – Major Ports" – the original provision of ₹59713.25 lakhs was augmented to ₹60069.25 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹356.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹53.71 lakhs – due to delay in purchase of equipments, non-finalisation of proposals for rent revision in respect of hired office building, sanction of fewer reward cases and requirement of less funds towards purchase of computers and related items.

(खा) मुख्य शीर्ष "2038" - "संग्रहण प्रभार - आयुक्तालय" - ₹206569.15 लाख के मूल प्रावधान को ₹4107.92 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹210677.07 लाख कर दिया गया, तथापि, जो कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने, कम पुरस्कार मामले मंजूर होने, कम घरेलू दौरे किए जाने, कार्यालय संबंधित मदों की खरीद, प्रशिक्षण, अदालती मामले और विज्ञापन एवं प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹2176.85 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2038" – "Collection Charges - Commissionerates" – the original provision of ₹206569.15 lakhs was augmented to ₹210677.07 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4107.92 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2176.85 lakhs – due to receipt of less medical claims, sanction of less reward cases, less domestic tours undertaken and requirement of less funds towards purchase of office related items, trainings, legal matter and advertising and publicity.

(II) मुख्य शीर्ष "2037" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2037" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राजस्व - सह - आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य" -

(A) "Revenue - Cum - Import/Export Trade Control Functions"-

(क) "समुद्र सीमा शुल्क - प्रमुख बंदरगाह" - ₹2124.10 लाख की बचत (₹32404.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम पुरस्कार मामलों को मंजूरी दिए जाने, कार्यालय परिसरों के नवीकरण और किराया संशोधन के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और कंप्यूटर एवं संबंधित मदों की खरीद, कार्यालय भवन और मशीनरी एवं उपस्करों के रख-रखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(a) "Sea Customs - Major Ports" – saving of ₹2124.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32404.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, sanction of less reward cases, non-finalisation of proposal for renovation of office premises, rent revision and requirement of less funds towards purchase of computers and related items, maintenance of office building and machinery and equipments.

(ख) "केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला" - ₹311.22 लाख की बचत (₹887.35 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रयोगशालाओं के लिए उपस्करों की खरीद में विलंब होने, चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने और कंप्यूटर और कार्यालय संबंधी मदों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "Central Revenues Control Laboratory" - saving of ₹311.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹887.35 lakhs) was due to delay in purchase of equipments for laboratories, receipt of less medical claims and requirement of less funds towards purchase of computers and office related items.

(खा) "निवारक और अन्य कार्य - संभार तंत्र निदेशालय" - ₹331.38 लाख की बचत (₹1851.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम

(B) "Preventive and Other Functions - Directorate of Logistics" - saving of ₹331.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1851.40

चिकित्सा दावे प्राप्त होने और उपस्करों की खरीद में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2038" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "निदेशन और प्रशासन" -

(क) "निरीक्षण" - ₹134.23 लाख की बचत (₹3711.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक अकादमी" - ₹503.87 लाख की बचत (₹4431.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने, कम घरेलू/विदेश दौरे किए जाने और प्रशिक्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) "सतर्कता" - ₹167.78 लाख की बचत (₹1310.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने और वेतन और भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(घ) "प्रचार और जन संपर्क निदेशालय (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क)" - ₹236.64 लाख की बचत (₹3544.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इलेक्ट्रानिक्स और प्रिंट मिडिया में विज्ञापन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय" -

(क) "भू सीमा शुल्क संग्रहण" - ₹313.90 लाख की बचत (₹1977.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम पुरस्कार मामलों को

lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims and delay in purchase of equipments.

(III) Under Major Head "2038" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration" –

(a) "Inspection" – saving of ₹134.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3711.60 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(b) "National Academy of Customs, Excise and Narcotics (NACEN)" – saving of ₹503.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4431.10 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims, less domestic/foreign tours undertaken and requirement of less funds towards training.

(c) "Vigilance" – saving of ₹167.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1310.50 lakhs) was due to receipt of less medical claims and requirement of less funds towards pay and allowances.

(d) "Directorate of Publicity and Public Relations (Customs and Central Excise)" - saving of ₹236.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3544.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertisement in electronic and print media.

(B) "Other Expenditure" –

(a) "Collection of Land Customs" - saving of ₹313.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1977.10 lakhs) was due to

मंजूरी दिए जाने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने और मजदूरी और कार्यालय संबंधी मदों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

non-filling up of vacant posts, sanction of less reward cases, receipt of less medical claims and requirement of less funds towards wages and purchase of office related items.

(ख) "अन्य मदें" - ₹250.90 लाख की बचत (₹736.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवनों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "Other Items" - saving of ₹250.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹736.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards repairs and maintenance of buildings.

(IV) मुख्य शीर्ष "2216" - "अन्य आवास - रख-रखाव और मरम्मत - अन्य रख-रखाव व्यय" के अंतर्गत ₹419.81 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने और भवनों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2216" - "Other Housing - Maintenance and Repairs – Other Maintenance Expenditure"- saving of ₹419.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to non-receipt of administrative approval and requirement of less funds towards maintenance and repair of buildings.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹56.11 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹56.11 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2715.67 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसंबर, 2012 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹5390.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

3. The above savings were partly (₹2715.67 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹5390.00 lakhs in December, 2012 under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "2037" - "निवारक और अन्य कार्य - राजस्व सतर्कता निदेशालय" - ₹486.45 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹485.74 लाख था।

(I) Major Head "2037"- "Preventive and Other Functions - Directorate of Revenue Intelligence" – ₹486.45 lakhs. Actual excess, however, was ₹485.74 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "2038" -

(II) Major Head "2038"-

(का) "निदेशन और प्रशासन - प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन" - ₹2016.17 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹849.17 लाख था।

(A) "Direction and Administration - Systems and Data Management" – ₹2016.17 lakhs. Actual excess, however, was ₹849.17 lakhs.

(खा) "संग्रहण प्रभार - प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी का वेतन एवं लेखा कार्यालय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)" - ₹213.05 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹113.31 लाख था।

(B) "Collection Charges - Pay & Accounts offices (Central Excise) of Principal Chief Controller of Accounts, CBEC" - ₹213.05 lakhs. Actual excess, however, was ₹113.31 lakhs.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	8720.00	550.00	544.96	-5.04
पु.	R.	-8170.00			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2800.00	531.00	450.00	-81.00
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-2270.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	400.00	12.00	..	-12.00
पु.	R.	- 388.00			

(I) ₹405.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹400.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन - सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन - बने बनाए फ्लैटों का अधिग्रहण" रांची में राष्ट्रीय खेल आवासीय परिसर में रिहायशी आवास की खरीद के प्रस्ताव का

(I) Provision of ₹405.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹400.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Residential Buildings for Customs and Central Excise Employees – Acquisition of Ready-built

मूर्त रूप न लेने कारण लेखाबद्ध किए गए।

Flats" - due to non-materialisation of proposal for purchase of residential accommodation in National Games Housing Complex at Ranchi.

(II) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - निवारक और अन्य कार्य" - ₹8170.04 लाख की बचत (₹8715.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नाव आपूर्तिकर्ताओं द्वारा नावों के तकनीकी विशेषताओं को पूरा न करने और 3 गामा रे स्कैनरो और 2 एक्स रे स्कैनरों (एक्सिस प्रणाली) के आयात में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4047"- "Customs - Preventive and other Functions" - saving of ₹8170.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8715.00 lakhs) was due to non-fulfillment of technical specification of boats by the boat suppliers and delay in import of 3 Gamma Ray Scanners and 2 x-Ray Scanner (AXIS Systems).

(III) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - बने बनाए आवास का अधिग्रहण" - ₹2700.00 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क और लीज होल्ड से फ्री होल्ड परिवर्तन संबंधी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने और रिहायशी आवास की खरीद के प्रस्ताव का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4059" – "Office Buildings – Other Expenditure – Acquisition of Ready built Accommodation" – saving of ₹2700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to non-finalisation of issue regarding payment of stamp duty on registration and conversion of leasehold to free-hold and non-materialisation of proposal for purchase of residential accommodation.

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹349.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2012 में मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - निर्माण - बंगलौर में एनसीईएन के लिए नए कार्यालय परिसर का निर्माण" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

5. The above savings were partly (₹349.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2012 under Major Head "4059" – "Office Buildings – Construction – Construction of New Office Complex for NACEN at Bangalore".